राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(आय–व्ययक अनुभाग)

क्रमांकः– एफ.5(9)वित्त–1(1)आ.व्य./2016 जयपुर, दिनांक : 2.6 फरवरी, 2017

परिपत्र

विषयः– निर्माण खण्डों को समय पर ऑनलाईन बजट (एल.सी.) आवंटन एवं निर्माण खण्डों द्वारा कोषालयों को समय पर बिल पारितार्थ प्रेषित करने के संबंध में।

वित्त (जी.एण्ड.टी.) विभाग के परिपत्र संख्या एफ.1(3)एफडी/जी.एफ.एण्ड.ए.आर/2014 दिनांक 18.03.2016 में प्रावधान है कि वित्त (आय–व्ययक) विभाग द्वारा निर्माण विभागों को ऑनलाईन बजट (एल.सी.) का आवंटन किया जावेगा। निर्माण खण्डों द्वारा उन्हे आवंटित बजट एवं समय सीमा को ध्यान में रखते हुए निर्माण खण्डों के संव्यवहारों के दावे तैयार किए जावेगें।

प्रायः यह देखा गया है कि निर्माण विभागों द्वारा निर्माण खण्डों को ऑनलाईन बजट (एल. सी.) का आवंटन कोषालयों में बिल प्रस्तुत करने की समय सीमा के अंतिम सप्ताह में किया जाता है जिसके कारण निर्माण खण्डों द्वारा कोषालयों को निर्माण कार्यो से संबंधित संव्यवहारों के दावे माह की 20 से 25 तारीख के मध्य प्रस्तुत किये जाते है। इस प्रवृति से कोषालयों/उपकोषालयों के कार्यभार में अनावश्यक वृद्धि होती है एवं संवेदकों को भुगतान में विलम्ब होता है।

इस संबंध में प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग के यू.ओ.नोट दिनांक 13.07.2016 का संदर्भ लेवें जिसमें यह स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया था कि ऑनलाईन बजट (एल.सी.) का निर्माण खण्डों को मासिक आधार पर आवंटन के स्थान पर त्रैमासिक आधार पर निर्धारित समय पर किया जावें, जिससे निर्माण खण्डों द्वारा कोषालयों/उपकोषालयों को निर्माण कार्यों संबंधी दावे निर्धारित समय (प्रत्येक माह की 5 से 25 तारीख तक) प्रस्तुत किये जा सके।

कतिपय प्रकरणों में निर्माण खण्डों द्वारा यह भी ध्यान में लाया गया है कि आवंटित बजट (एल.सी.) की सीमा के अध्यधीन ऑनलाईन बिल बनाकर कोषालयों को पारितार्थ सिस्टम के माध्यम से अग्रेषित करने के पश्चात विभाग द्वारा आवंटित बजट (एल.सी.) Withdraw कर लिया जाता है, इस कार्यवाही से कोषालय/उपकोषालय स्तर पर बिल पारित नहीं किया जा सकता है एवं बिल संबंधित निर्माण खण्ड को आक्षेपित कर लौटाया जाता है, जिसे पुनः ऑनलाईन बजट (एल.सी.) आवंटन के पश्चात ही पारित किया जा सकता है।

इस संबंध में निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जावें :–

1. प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग के यू.ओ.नोट दिनांक 13.07.2016 में दिए गए निर्देशों के अनुसार ऑनलाईन बजट (एल.सी.) का आवंटन निर्माण खण्डों को मासिक आधार पर आवंटन के स्थान पर त्रैमासिक आधार पर समय पर किया जावे।

2. आवंटित बजट (एल.सी.) की सीमा के अध्यधीन निर्माण खण्डों द्वारा ऑनलाईन बिल बनाकर कोषालयों को पारितार्थ सिस्टम के माध्यम से अग्रेषित करने के पश्चात् विभाग द्वारा आवंटित बजट (एल.सी.) Withdraw नहीं किया जावे। इस हेतु एन.आई.सी. द्वारा सिस्टम पर आवश्यक चैक व नियंत्रण भी लगाये जायें। इस प्रक्रिया में कोषालय/उपकोषालय द्वारा बिल आक्षेपित करने पर ही बजट पुनः उपयोग हेतु उपलब्ध हो।

3. समस्त निर्माण खण्डों द्वारा निर्धारित समय सीमा (प्रत्येक माह की 5 से 25 तारीख तक) जिसमें निर्माण खण्डों द्वारा कोषालयों/उपकोषालयों को निर्माण कार्यों संबंधी दावे प्रस्तुत किए जाने हैं, में नियमित आधार पर दावे प्रस्तुत किए जावें ताकि निर्धारित अवधि के अंतिम सप्ताह में अनावश्यक भार न हो।

वित्तीय वर्ष की समाप्ति को ध्यान में रखते हुए उक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करे ताकि निर्माण खण्डों के दावों का निस्तारण सुगमता से समय पर किया जा सके।

(शरद मेहरा)
निदेशक, वित्त (बजट)

प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. उपमहालेखाकार (लेखे), प्रधान महालेखाकार कार्यालय, राजस्थान, जयपुर
2. प्रधान मुख्य वन सरंक्षक/वित्तीय सलाहकार, वन विभाग, अरण्य भवन, जयपुर
3. मुख्य अभियन्ता/वित्तीय सलाहकार, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर
4. मुख्य अभियन्ता/वित्तीय सलाहकार, जलसंसाधन विभाग, सिंचाई भवन, जयपुर
5. मुख्य अभियन्ता/वित्तीय सलाहकार, जन स्वास्थ्य एंव अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर
6. मुख्य अभियन्ता/वित्तीय सलाहकार, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, बीकानेर/जैसलमेर
7. विकास आयुक्त/वित्तीय सलाहकार, सी.ए.डी. कोटा
8. विकास आयुक्त/वित्तीय सलाहकार, सी.ए.डी. बीकानेर
9. निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर
10. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (आर्थिक मामलात) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर
11. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (जी.एण्ड.टी.) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर
12. तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी. पुराना रिकार्ड भवन, शासन सचिवालय, जयपुर
13. प्रमुख प्रणाली विश्लेषक, (IFMS/WAM), एन.आई.सी. वित्त भवन, जयपुर
14. समस्त कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारी

संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बजट)

(02/2017)